न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 47/2006

वादीगणः- बनाम प्रतिवादी :-

भीयाराम के कायम मुकामानः- अर्जुन पुत्र भीयाराम

1-शंकरलाल पुत्र भीयाराम जाति-जाट, निवासीगण-फालका

2-अमराराम पुत्र भीयाराम तहसील-जैतारण, जिला-पाली

जाति-जाट, निवासीगण-फालका राजस्थान

तहसील-जैतारण जिला-पाली,

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजूः.19.04.2006

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 26/06/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-फालका, तहसील-जैतारण में वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी स्थित खसरा नम्बर 49/1 रकबा 10-00 बीघा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 705/1 रकबा 13-11 बीघा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 713 रकबा 5-15 बीघा किस्म बा0दो0 एवं खसरा नम्बर 782 रकबा 1-06 बीघा किस्म से0दो0, कुल किता-4 कुल रकबा 30-12 बीघा की आई हुई हैं। उक्त उपर वर्णित खसरा नम्बरान की आराजी एक मात्र वादी की कब्जा व काश्त सुदा हैं, जिसकी चालु जमाबन्दी वाद पत्र के साथ है। इस आराजी को वाद-पत्र के आगे विवादित आराजी के इस आराजी का संवत सन् 1972 तक वादी ही खातेदार काश्तकार था व राजस्व रिकार्ड में भी वादी का नाम बतौर खातेदार के दर्ज था। नकल जमाबंदी संवत 2025 से 2027 इस वाद-पत्र के साथ पेश की है। दिनांक 18/06/1972 को हल्का पटवारी-फालका द्वारा वादी व उसके भाईयो के मध्य आपसी पारिवारीक बंटवाडा के अनुसार म्यूटेशन संख्या 116 भरा गया जिसके अनुसार वादी के हिस्से में उक्त विवादित आराजी रही थी तथा बंटवाडे के बाद से ही इस आराजी पर वादी अकेले का कब्जा / काश्त चला आ रहा है। म्यूटेशन संख्या 116 में क्र. संख्या 5 पर खातेदार के रूप में वादी का नाम दर्ज होना चाहिये था लेकिन हल्का पट्वारी ने गलती से वादी के नाम के स्थान पर वादी के पुत्र प्रतिवादी का नाम दर्ज कर दिया, जो की एक गलत प्रविष्ट हैं। बल्कि इस आराजी का एक मात्र हकदार आराजी है वादी को इस आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक होने से वाद-पत्र बाबत घोषणा का पेश किया है। वादी के प्रतिवादी के अलावा अन्य जायन्दा पुत्र भी हैं। इसलिये उनके हितो पर भी किसी प्रकार का विपरीत असर नही पड़े व विवाद नही हो इसके लिये वादी ने प्रतिवादी से निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी ने ऐसी रेकर्ड दुरुस्ती करवाने से दिनांक 26/03/2006 ईन्कार कर दिया एवं इन परिस्थितियो में भविष्य में विवाद होने की संभावना है तथा वादी को अपूरणीय क्षति होने की भी संभावना हैं। तब इन परिस्थतियों में प्रतिवादी को इस आराजी को रहन,

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बैचान, करने का व अन्य हस्तान्तरण करने से तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से रोका जाना आवश्यक होने से यह वाद-पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। विनाय दावा दिनांक 26/03/2006 को प्रतिवादी द्वारा रेकर्ड दुरूस्ती करने से ईन्कार करने पर बमुकाम-फालका, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ जो अन्दर म्याद व अदालत हाजा के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी को बावजूद तामील के उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी के फौत होने से उनके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये गये। संशोधित शीर्षक सा0मि0 किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-फालका में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से मजमा-ए-आम में शपथ-पत्र पेश किए गये, जो सा0मि0 किए गए। आपसी बंटवाड़ा के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 116 भरा गया था। जिसके अनुसार वादी के हिस्से के उक्त विवादित आराजी रही थी। बंटवाड़े के वाद से ही इस आराजी पर वादी अकेले का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। नामान्तरकरण संख्या 116 के अनुसार क्र0सं0 5 पर खातेदार के रूप में वादी का नाम दर्ज होना चाहिए था, लेकिन हल्का पटवारी ने गलती से वादी के नाम के स्थान पर वादी के पुत्र प्रतिवादी का नाम दर्ज कर दिया, जो गलत प्रविष्टि हैं। इस आराजी का एक मात्र हकदार वादी ही हैं। वादी को खातेदार काश्तकार घोषित बखूबी प्रमाणित होता हैं। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-फालका, तहसील-जैतारण में वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी स्थित खसरा नम्बर 49/1 रकबा 10-00 बीघा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 705/1 रकबा 13-11 बीघा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 713 रकबा 5-15 बीघा किस्म बा0दो0 एवं खसरा नम्बर 782 रकबा 1-06 बीघा किस्म से0दो0, कुल किता-4 कुल रकबा 30-12 बीघा में पैतृक भीयाराम के पुत्र वादी शंकरलाल अमराराम एवं प्रतिवादी अर्जुनराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 26/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर-आ0कालू पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगणः-	बनाम	प्रतिवादी :-
भीयाराम के कायम मुकामानः-		अर्जुन पुत्र भीयाराम
1-शंकरलाल पुत्र भीयाराम		जाति-जाट, निवासीगण-फालका
2-अमराराम पुत्र भीयाराम		तहसील-जैतारण, जिला-पाली
जाति-जाट, निवासीगण-फालका		राजस्थान
तहसील-जैतारण जिला-पाली,		
राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई		मु0न0 :रा0वा0स0:47/2006
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए		
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955		

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-फालका, तहसील-जैतारण में वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी स्थित खसरा नम्बर 49/1 रकबा 10-00 बीघा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 705/1 रकबा 13-11 बीघा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 713 रकबा 5-15 बीघा किस्म बा0दो0 एवं खसरा नम्बर 782 रकबा 1-06 बीघा किस्म से0दो0, कुल किता-4 कुल रकबा 30-12 बीघा में पैतृक भीयाराम के पुत्र वादी शंकरलाल अमराराम एवं प्रतिवादी अर्जुनराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ...-...मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....-...फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 26/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	03	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	09	00	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-			मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner